पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28–08–2020

दिनांक 27/28-08-2020 को रात्रि थाना जानकीपुरम् 01, आटियाना 01, तालकटोरा 02, कृष्णानगर 01, अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 दक्षिणी

यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना गोसाईगंज:–दिनांक 27–08–2020 को श्री धीरेन्द्र प्रताप कुटावाहा प्रभारी निरीक्षक थाना गोसाईगंज द्वारा अभियुक्त 01–असगर अली पुत्र फरजन अली निवासी बहरौली थाना नगराम लखनऊ 2–फुरकान उर्फ रिजवान पुत्र मुन्नवर निवासी बहरौली थाना नगराम लखनऊ 03–सर्वेश कुमार उर्फ भाटा रावत पुत्र रामखेलावन रावत निवासी बहरौली थाना नगराम लखनऊ के विरूद्व यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना सुटाांत गोल्फ सिटी:–दिनांक 27-08-2020 को श्री सचिन कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सुटाांत गोल्फ सिटी लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01–यशार्थ सिंह उर्फ यश ठाकुर उर्फ आर्यन सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह मूलनिवासी-मेहनाजपुर बाजार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़, हालपता–205 गंगोत्री इन्कलेव थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ 02–आयुष रावत पुत्र पुरुषोत्तम रावत मूल निवासी–रसूलपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ, हालपता–बी–7 गंगोत्री इन्कलेव थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ के विरूद्व यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार।

पी0जी0आई0:–दिनांक 28-08-2020 को महिला एस0आई0 गीता सिंह थाना पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा अभियुक्ता 1–रंजन पत्नी धर्मेन्द्र पासवान निवासी 446ई आश्रय कालोनी एल्डिको थाना पी0जी0आई0 लखनऊ, मूलनिवासी ग्राम वखरी सल गगोली विलवा थाना समस्तीपुर बिहार 2–सरिता पत्नी स्व0 प्रमोद चौधरी निवासी ई–28 आश्रय कालोनी एल्डिको थाना पी0जी0आई0 लखनऊ, मूलनिवासी:–ग्राम डोली सकरा थाना सकरा जनपद मुजफ्फरपुर बिहार को संस्कृति गेट एल्डिको के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 05–05 ग्राम कुल 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर थाना पीजीआई पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अभियुक्त गिरफ्तार।

चिनहटः-दिनांक 28-08-2020 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि दिनांक 05-09-2020 को वादी निवासी चिनहट थाना चिनहट लखनऊ द्वारा थाना चिनहट पर अपनी 17 वर्द्गीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 363/366/376 भादवि व धारा 05/06 पोस्को एक्ट व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट का अभियोग बनाम 1-राम निरंजन पाण्डेय के विरुद्व पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना ए0सी0पी0 विभूतिखण्ड द्वारा की जा रही थी। जिनके निर्दे८ान में आज दिनांक 28-08-2020 को** एस0आई0 श्री ७ब्बीर अहमद थाना चिनहट लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त **1-राम निरंजन पाण्डेय पुत्र स्व0 बाबू राम निवासी भीखमपुर थाना मितौली जनपद लखीमपुर खीरी** को मुखबिर की सूचना पर इन्दिरा नहर माती के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना चिनहट पर आव८यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

डी0सी0पी0 सेन्ट्रल

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

बंथराः-दिनांक 28-08-2020 को एस0आई0 श्री ७ौलेन्द्र सिंह सेंगर थाना बंथरा लखनऊ द्वारा अभि0 1-८िवमोहन मिश्रा उर्फ गोलू पुत्र हरि८ांकर मिश्रा निवासी कस्बा बंथरा थाना बंथरा लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर बंथरा तिराहा से 30 कदम आगे से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अद्द अवैध तमंचा .12 बोर मय एक अद्द जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना बंथरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना पीजीआईः-दिनांक 28-08-2020 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुन्दर लाल कनौजिया पुत्र स्व0 मैकूलाल निवासी नई बस्ती रैपुरवा थाना माल लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि वादी का भाई सत्येन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मैकूलाल निवासी उपरोक्त उम्र करीब 45 वर्द्ग जो लखनऊ में दिहाडी मजदूरी करके भरण पोद्गाण करता था, दिनांक 27/28-08-2020 की रात्रि समय करीब 12.30 बजे चारपहिया टाटा इण्डिगो गाड़ी नं0 यूपी 32 सीवाई 9020 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा चारपहिया गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर डेन्टल हास्पिटल व ओवर ब्रिज के मध्य रायबरेली रोड़ पर वादी के भाई व उसके साथी को टक्कर मार दिया, जिससे दोनो लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये, जिनको इलाज हेतु ट्रामां सेन्टर ले जाते समय वादी के भाई सत्येन्द्र कुमार की रास्ते में मृत्यु हो गयी तथा उसके साथी का इलाज चल रहा है। इस सूचना पर थाना पी0जी0आई0 पर मु0अ0सं0 597/2020 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री राजे८ा कुमार मो0नं0 8172956855 द्वारा की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि** मृतक के साथ में उसका साथी नाम पप्पू यादव उम्र करीब 35 वर्द्ग पुत्र भुल्लन यादव निवासी ग्राम ७ीर्द्ग थाना निगोहा लखनऊ का इलाज ट्रांमा सेन्टर में चल रहा है।

पाराः-दिनांक 28-08-2020 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि वादी श्री झुगनू पुत्र कल्लू निवासी कां८ीराम कालोनी फेस-02 सदरौना थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि

समीर पुत्र जमील निवासी 29/4 कां८ाीराम कालोनी फेस-2 का रहना वाला है, जिसकी मां वादी के घर पर रोजी और समीर की ७ादी के लिए दिनांक 26-08-2020 को रात्रि में वादी के घर पर आयी थी, और वादी की लड़की रोजी से बोली कि मुझे ७ादी में 02 लाख रुपया चाहिए तभी मैं अपने लड़के की ७ादी तुम्हारी बेटी से करुंगी, वादी की बेटी रोजी व समीर की सगाई दिनांक 05-07-2020 को हो गयी थी। इसी बात को लेकर वादी की बेटी रोजी उम्र करीब 18 वर्६ा ने काफी परे८ाान होकर दिनांक 26-08-2020 को ही छत से कूद गयी, जिसका इलाज वह ट्रांमा सेन्टर में करा रहा था। आज दिनांक 28-08-2020 को इलाज के दौरान मृत्यु वादी की पुत्री रोजी उम्र करीब 18 वर्६ा की मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना पारा पर मु0अ0सं0 475/2020 धारा 306 भादवि का अभियोग बनाम 1-समीर पुत्र जमील 2-समीर की मां पत्नी जमील निवासीगण 29/4 कां८ाीराम कालोनी फेस-02 थाना पारा लखनऊ के विरुद्व पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री सुभा६ा चन्द्र मो0नं0 8318406952 द्वारा की जा रही है।**

<u>थाना सु८ाांत गोल्फ सिटी</u>:-दिनांक 28-08-2020 को थाना सु८ाान्त गोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादी श्री कार्तिकेय पुत्र ७ीतला प्रसाद निवासी खुर्दही बाजार थाना सु८ाान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ने थाना सु८ाान्त गोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि वादी के पिता ७ीतला प्रसाद (एडवोकेट) पुत्र गुरुदीन एवं माता श्रीमती मालती देवी आज दिनांक 28-08-2020 को प्रातः लगभग 05.20 बजे मार्निंग वॉक से वापस घर आ रहे थे, कि गोसाईगंज से आ रही अल्टो कार चारपहिया गाड़ी नं0 यूपी 32 एच0एस0-5245 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा गाड़ी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए अतुल मार्केट के पास पेट्रोल पम्प के सामने वादी के पिता व माताजी को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही वादी के पिता 1-७ीतला प्रसाद (एडवोकेट) उम्र करीब 50 वर्६ा व वादी की माता श्रीमती मालती देवी उम्र करीब 46 वर्६ा की मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना सु८ाान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 177/2020 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री फिरोज अहमद मो0नं0 9918313813 द्वारा की जा रही है।**

MEDIA